न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/20/2024	2024/25	14.05.2024	03.12.2025

1.सरकार जरिये बीज निरीक्षक एंव कृषि अधिकारी (मिशन), कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि(विस्तार) जिला परिषद अलवर, जिला अलवर राज0।

—प्रार्थी

बनाम

1.श्री स्वर्ण सिंह पुत्र श्री जीत सिंह आयु 38 वर्ष जाति रायसिक्ष निवासी चिडवई तहसील गोविन्दगढ, जिला अलवर।
2.मैसर्स नवभाश्त सीड्स प्रा0 लि0 वसुकानन फर्स्ट फ्लोर गुजरात विद्यापीठ के पीछे आश्रम रोड, अहमदाबाद—380014।

—अप्रार्थी

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित बीज नियंत्रण आदेश 1983।

उपस्थितः—

01. श्री प्रवर्तन अधिकारी —विभागीय प्रतिनिधि

—:निर्णयः—

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित बीज नियंत्रण आदेश 1983 पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि दिनाक 04.05.2023 को मैसर्स पंजाब खाद बीज भण्डार चिडवई प्रोपराईटर श्री स्वर्णसिंह के गोदाम पर बिना विकय अनुमति के कम्पनी नवभारत सीड्स प्रा० लि० का बीटी कपास बीज किस्म इक—444 बीजी आईआई के 20 पैकट एक्स 475 ग्राम कुल मात्रा 9.5 किग्रा पाया गया। पंजाब खाद बीज भण्डार चिडवई द्वारा बिना चिकय अनुमति के बीज का बेचान किया जा रहा था जो बीज नियंत्रण आदेश 1983 के क्लॉज 13 (ए) (सी) (डी) के उल्लंघन के कारण दिनांक 04.05.2024 को जब्ती की कार्यवाही की गई, जिसका विवरण निम्नानुसार— हाइब्रिड बीटी कॉटन, किस्म— वाईसीएच—444 बी0जी0, लॉट नम्बर—बीएलकेसीएचएन—4057, बीज की मात्रा—20 पैकेट • 475 = 9.5 किग्रा। मैसर्स पंजाब खाद बीज भण्डार चिडवई के प्रोपराईटर श्री स्वर्ण सिंह से जब्त किये गये उक्त बीटी कपास बीज को दी गोविन्दगढ ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० गोविन्दगढ अलवर के व्यवस्थापक श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री शिवराम शर्मा निवासी कनवाडा तह० लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर को सुपुर्द्ध कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर ली गई है। उक्त प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 (1) के तहत जब्त बीटी कपास बीज को राजसात् करने एवं निस्तारण की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण उपस्थित।

अप्रार्थीगण न्यायालय में उपस्थित हुए व जबाव पेश किया जो निम्न प्रकार है कि उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे द्वारा किसी प्रकार के बी.टी. कपास का बिना अनुमति विक्रय नहीं किया गया है क्योंकि कपास कम्पनी नवभारत सीड्स प्रा० लि० किस्म 4CH-444 BG II के 20 पैकिट X 475 ग्राम कुल मात्रा 9.5 कि.ग्रा. बीज मेरी दुकान पर मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चे के सामने दिनांक 29/04/24 को कम्पनी कर्मचारी श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री नत्थूराम बीज को रखकर चला गया और बच्चे को कह गया कि मेरे घर में शादी है

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

और कोई बच्चा खा ना ले इस वजह से मेरी दुकान पर छोड़कर चला गया। दिनांक 30/04/24 को बीज निरीक्षक महोदय दुकान पर पहुंचे तो मैं स्वर्ण सिंह उस समय दुकान पर नहीं था और मैं बीमार था और में दवाई लेने हॉस्पिटल गया हुआ था। बच्चे ने देखने के लिए एक बीज का पैकिट निकाल कर रखा हुआ था, तभी निरीक्षक महोदय ने बच्चे से कहा कि यह पैकिट कहां से लाए तो बच्चे ने बताया कि कोई मेरे पिताजी का जानकार रख कर गया है और वो कल वापिस ले जाने के लिए बोल कर गया है। इसी बीच दिनांक 30/04/24 को बीज निरीक्षक महोदय इस बीज को सेल स्टॉड करके चला गया। तदोपरान्त दिनांक 04/05/24 को निरीक्षक महोदय पुनः दुकान पर आया और 20 पैकिट कुल मात्रा 9. 5 कि.ग्रा. की जब्ती की कार्यवाही करके ले गए । उस समय मैं स्वर्ण सिंह मौजूद था। मेरी मौजूदगी में ये लेकर गए है। अतः इस बीज हसे मेरा कोई लेना–देना, हक व स्वामित्व नहीं है। इन पैकिटो को जब मैने विकय ही नहीं करना था तो मैं इसकी अनुमति क्यो लूंगा। मैने तो केवल जानकारी की वजह से पैकिट अपनी दुकान पर रखे थे। अतः श्रीमान जी से निवेदन हे कि 20 पैकिट यानि 9. 5 कि.ग्रा. कपास बीज रघुवीर सिंह पुत्र श्री नत्थूराम जी को लौटाने की कृपा करें।

मैसर्स नवभारत सीड्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से रघुवीर सिंह पुत्र नत्थूराम उम्र करीब 45 साल जाति राजपूत निवासी खेडा हमूद तहसील गोविन्दगढ जिला अलवर राज० ने हलफनामा पेश किया किया जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं कि मै हलफ से बयान करता हू कि मै नवभारत सीड्स प्राइवेट लि. में सेल्स आफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा एम्प्लॉय आई डी एनएसपीएल 0513 है। मै हलफ से बयान करता हूँ कि दिनांक 29–4–2024 को मै मेरी उपरोक्त कंपनी से अपनी खेती के लिए 4च–444 बीजी ई के 20 पैकिट एक्स 475 ग्राम कुल मात्रा 9.5 कि.ग्रा. बीज लेकर आया था तथा हमारे घर में शादी होने के कारण मै उक्त बीज अपने मिलने वाले दुकानदार स्वर्ण सिंह की दुकान पंजाव खाद बीज भण्डार चिडवाई पर रख कर आया था । मै हलफ से वयान करता हूँ कि उक्त उक्त बीज फ्री सैम्पल का है जिसका बिल भी मेरे पास मौजूद है। उक्त बीज से मेरे मिलने वाले दुकानदार स्वर्ण सिंह का कोई लेना देना नहीं है। तथा मै अपना उक्त वीज वापस प्राप्त करना चाहता हूँ जो लौटाने की कृपा करे ताकि मै समय पर बुआई कर सकूं।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व प्रार्थी की बहस पर चिन्तन–मनन किया गया। अप्रार्थी के जवाब का परीक्षण किया गया जिसमें अप्रार्थी स्वर्ण सिंह ने कहा कि बीज उनकी अनुपस्थिति में कंपनी कर्मचारी ने रख दिया था। बीज उनका नहीं है। कंपनी कर्मचारी रघुवीर सिंह ने हलफनामा देकर कहा कि बीज उन्होंने अपनी खेती के लिए लिया था। दुकानदार से कोई संबंध नहीं। चूंकि बीज दुकान में व्यावसायिक परिसर पर पाया गया। दुकान व्यापारी नियंत्रण एवं लाइसेंस नियमों के अधीन है। दुकान पर कोई भी "अनधिकृत कृषि–बीज" पाया जाना स्वयं में उल्लंघन सिद्ध करता है। विक्री–अनुमति, बिल, स्टॉक–रजिस्टर उपलब्ध नहीं थे, जो क्लॉज 13(ए)(सी)(डी) का स्पष्ट उल्लंघन है। धारा 6–ए में "संपत्ति क़िसकी है" यह निर्णायक नहीं, बल्कि यह देखा जाता है कि आवश्यक वस्तु अनधिकृत रूप से व्यापार परिसर में पाई गई या नहीं। अतः स्वामित्व विवाद प्रकरण की प्रकृति को प्रभावित नहीं करता। निरीक्षण के समय तथा जब्ती के समय दुकान संचालित थी और बीज बिना विक्रय अनुमति के बीज का बेचान किया जा रहा था। अतः प्रारंभिक दृष्टया उल्लंघन सिद्ध है। उपरोक्त परिस्थितियों में अप्रार्थी का बचाव विश्वसनीय नहीं पाया गया तथा उल्लंघन सिद्ध होता है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के अंतर्गत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। उक्त जब्त बीज (20 पैकेट 475 ग्राम= 9.5 किग्रा) को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के अंतर्गत राजसात किया जाता है। बीज निरीक्षक एंव कृषि अधिकारी (मिशन), कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि(विस्तार) जिला परिषद अलवर, जिला अलवर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त जब्त बीज (20 पैकेट 475 ग्राम= 9.5 किग्रा) को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें एवं अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि जमा राजकोष कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति बीज निरीक्षक एंव कृषि अधिकारी (मिशन), कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि(विस्तार) जिला परिषद अलवर, जिला अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12..2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)